

प्रेस नोट दिनांक 23.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा अवैध अपमिश्रित शराब बनाने वाले व 25000 रुपये के इनामी तथा थाना इकदिल से 9 वर्ष से फरार वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा अवैध अपमिश्रित शराब बनाने वाले व 25000 रुपये के इनामी तथा 9 वर्ष से फरार वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.03.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर ईनामियाँ/ वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया । जिसमें समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी । इसी के क्रम में थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गस्त की जा रही थी ,तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली की थाना के मु0अ0सं0 128/2021 धारा 60 क 63 आबाकारी अधिनियम व 272 भादवि तथा थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 331/2012 धारा 60 आबाकारी अधिनियम व 420/467/468/472 भादवि से सम्बन्धित 25000 रुपये पुरस्कार घोषित अभियुक्त आज ग्राम सराय में अपने घर के अन्दर औरैया से कच्ची शराब लाकर उसमें यूरिया अन्य सामाग्री मिलाकर शराब बना रहा है । मुखबिर की सूचना पर थाना बकेवर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के घर पर दबिश दी गयी तो लल्ला सिंह को घेरकर पकड़ लिया गया । जिसके घर से अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने की सामाग्री बरामद की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 128/2021 धारा 60 क 63 आबाकारी अधिनियम व 272 भादवि तथा थाना इकदिल पर मु0अ0सं0

331/2012 धारा 60 आबाकारी अधिनियम व 420/467/468/472 भादवि से सम्बन्धित 25000 रुपये पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.लल्ला सिंह उर्फ लाल सिंह पुत्र भगवानदीन निवासी सराय मिट्टे थाना बकेवर

बरामदगी:-

1.05 लीटर कच्ची शराब अपमिश्रित प्लास्टिक की कट्टी में

2.05 किलो यूरिया

पुलिस टीम:- श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर ,उ0नि0 प्रेमचन्द सिंह, हे0का0 जितेन्द्र सिंह ,का0 नरेन्द्र सिंह ,का0 अरुण कुमार

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा ।